उपस्थित अधिवक्ता प्रार्थी – श्री प्रेमकुमार देवडा

निर्णय

दिनांक 30.5.2019

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण के पेश किया है जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि गांव भाचरणा, तहसील लूणी जिला जोधपुर में कृषि भूमि खसरा न 125 रकबा 55 बीघा 7 बिस्वा आई हुई है। उपरोक्त भूमि मूल रूप से सह खातेदार हनुमानराम, मोहनराम व चन्दाराम पिसरान विरदाराम एवं मांगीलाल पुत्र धर्माराम पीटल के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जा काश्त की रही है, जिसमें हनुमानराम, मोहनराम, चन्दाराम पिसरान विरदाराम का 1/2 हिस्सा एवं मांगीलाल पुत्र धर्माराम का 1/2 हिस्सा है।

सह खातेदार हनुमानराम पुत्र विरदाराम का स्वर्गवास हो चुका है तथा प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण 1 से 8 हनुमानराम के उत्तराधिकारी है, जिनका विवादग्रस्त भूमि में संयुक्त रूप से 1/6 हिस्सा है , इस प्रकार प्रार्थी का संपूर्ण भूमि में 1/54 हिस्सा बनता है। संयुक्त खाते की उपरोक्त जोत का कोई विभाजन आज दिन तक नहीं हुआ है, सभी सामलाती रूप से काश्त करते है। भूमि सामलाती खाते की होने एवं अविभाजित होने से काश्त के वक्त छोटी–मोटी बात पर विवाद खड़ा हो जाता है, इस वर्ष भी वर्षात होने पर दिनांक 07.06.2015 को अप्रार्थीगण 9 से 10 ने प्रार्थी से झगड़ा किया एवं बुवाई हेतु मुख्य सड़क से ट्रेक्टर को अन्दर लाने में रूकावट पैदा की, बड़ी मुश्किल से प्रार्थी ने उन्हें समझाया कि ट्रेक्टर को अन्दर आने दिया जावे, तो वे वहां से हटे तथा जाते–जाते कह गये कि अगले वर्ष वे प्रार्थी को न तो ट्रेक्टर अन्दर लाने देंगे एवं न ही काश्त करने देंगे।

प्रार्थी विवादग्रस्त भूमि का सह खातेदार है एवं अप्रार्थी अपनी नाजायज हरकतों से प्रार्थी द्वारा सामलाती काश्त करने में रूकावट पैदा करते हैं, जबकि उन्हें ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। अप्रार्थीगण गैर कानूनी तरीके से प्रार्थी को संयुक्त खाते की जोत में काश्त करने से उसे वंचित करना चाहते है, इन परिस्थितियों में अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थाई

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी (जोधपुर) राज.

Scanned by CamScanner

निषेधाज्ञा जारी की जाना जरूरी है अन्यथा प्रार्थी काश्त से वंचित रह जायेगा एवं उसे अपार नुकसान होगा जिसकी पूर्ति संभव नहीं। प्रथम दृष्टया केस एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। हमने अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र 24.07.2015 को प्रस्तुत किया एवम दिनांक 27.08.2015 को अप्रार्थी संख्या 1 से 11 की ओर से श्री संतोष चोधरी ने अपना वकालतनामा पेश किया और पत्रावली जवाब के लिए विचाराधीन रही। आदेशिका दिनांक 22.11.16 में अप्रार्थीगण के अधिवक्ता के अनुपस्थित रहते हुए जवाब बंद किया गया और बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई । वकील प्रार्थी ने मुख्य रुप से बताया कि भूमि सयुक्त रुप से खातेदारी में दर्ज तथा बुवाई के समय हिस्से व स्थल को लेकर विवाद रहता है अतः अप्रार्थीगण के विरुद्व इस प्रकार के निषेधाज्ञा जारी कि जावे कि प्रार्थी को सयुक्त काश्त की जोत में कार्य करने से नहीं रोका जावे। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ जमाबन्दी संवत् 2069–2072 की छाया प्रति पेश की है।

हमने वकील प्रार्थी की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अस्थाई व्यादेश देने का एक पारम्परिक तरीका है, जिसमें तीन बातों पर ध्यान दिया जाता है, अर्थात् (1) प्रथम दृष्टया मामलाः– प्रार्थी को अपने प्रार्थना पत्र में तथा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रथम दृष्टया यह बतलाना होगा कि प्रार्थी के पक्ष में किस प्रकार मजबूत मामला है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 में यह उपबंध है कि इस अधिनियम के अधीन किसी वाद या कार्यवाही में यदि शपथ पत्र द्वारा अथवा अन्यथा यह सिद्ध हो जाये कि किसी सम्पति का जिससे ऐसा वाद या कार्यवाही संबंधित है, उसके किसी पक्षकार द्वारा दुर्व्ययन करने, उसे नुकसान पहुंचाने या अन्य संक्रान्त किये जाने का खतरा है, इस संबंध में प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई प्रार्थना पत्र अथवा विषयवस्तु आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं की है, जिससे यह उपरोक्त वर्णित तथ्यों को प्रमाणित करता हो। केवल मात्र जमाबंदी प्रस्तुत कर देने से प्रार्थी अपने पक्ष में मजबूत एवं सुदृढ़ प्रथम दृष्टया मामला होना प्रमाणित नहीं कर पाया है (2) सुविधा का संतुलनः– पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री से यह सिद्ध नहीं हो रहा है कि प्रार्थी के पक्ष में सुविधा का संतुलन किस रूप में है, क्योंकि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के दुर्व्ययन करने, उसे

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी (जोधपुर) राज.

Scanned by CamScanner

नुकसान पहुंचाने या संक्रान्त किये जाने के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है, इस स्थिति में सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्षधर नहीं पाया जाता है (3) अपूरणीय क्षतिः— स्थाई व्यादेश प्राप्त करने के लिये प्रार्थी को यह बताना होगा कि उस पक्षकार के विरुद्ध एक बाध्यता उत्पन्न करता है कि वह उसको हुई क्षति का अप्रार्थी क्षतिपूर्ति भी नहीं कर पायेगा। प्रार्थी द्वारा अपूरणीय क्षति के संबंध में भी अपना पक्ष मजबूती से पेश नहीं किया है और न ही कोई दस्तावेज पेश किये। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकार अधिनियम 212 के अन्तर्गत वेग आधारों पर पेश किया है जो चलने योग्य नहीं है।

निर्णय

अतः आदेश है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकार अधिनियम 1955 पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है।

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
(राजेन्द्र कुमार डांगी)
लूणी (जोधपुर) राज.
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

निर्णय आज दिनांक 30-5-19 को बसरे ईजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी
लूणी (जोधपुर) राज.

Scanned by CamScanner